झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य–86/2013 34/22-23 प्र०स्वी० /राँची, दिनांकः– 16.08.2022

प्रेषकः

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय :– सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, देवघर के अन्तर्गत बड़ानदी जलाशय योजना के 01 (एक) अदद् सर्विस, गेट एवं 01 (एक) अदद इमरजेन्सी गेट तथा ट्रैस रैक के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रू० 26.25 लाख (रूपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, देवघर के अन्तर्गत बड़ानदी जलाशय योजना के 01 (एक) अदद् सर्विस, गेट एवं 01 (एक) अदद इमरजेन्सी गेट तथा ट्रैस रैक के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रू० 26.25 लाख (रूपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बड़ानदी जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :–
   i. 01 अदद् सर्विस एवं 01 अदद् इमरजेन्सी गेट का निर्माण एवं अधिष्ठापन का कार्य।
   ii. लीकेज रोकने हेतु साइड सील सीट, बॉटम सील सीट एवं टॉप सील सीट लगाने का कार्य।
   iii. इनलेट भेन्ट एवं टॉप में ट्रैस रैक का निर्माण कार्य।

4. बड़ानदी जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के अवयवार विवरणी निम्नवत् है।

SI.	Item of works	Amount (Rs)
1	2	6
1	Labour charge for complete cleaning worksite, Dismantling R.C.C & Providing P.C.C. work and making of Cross Bandh in approach canal.	131339.22
2	Fabricating, fitting & fixing of embedding components and allied works of one emergency and one service Dam Outlet Gates.	148254.00
3	Fabricating, fitting & fixing of one emergency and one service Dam Outlet Gates and other allied works .	143690.00
4	Fabricating, fitting & fixing of one horizontal one vertical Trash Racks, Cage gate for housing operating platform.	119573.00
5	Fabricating, fitting & fixing of Hoisting arrangement and Hoist bridge For one Service and one Emergency Gates	877564.00
6	Fitting & Fixing Rubber Seal with Components for one Service and one Emergency gate	189440.00
7	General Repair & Maintenance for Three Years.	687789.00
	Total	**Rs. 2297649.22**
	Add 12% GST	**Rs. 275717.91**
	Total	**Rs. 2573367.13**
	Add 1% Labour cess	**Rs. 25733.67**

Add 1% Contigensy	Rs. 25733.67
Grand Total	Rs. 2624834.47
Say	Rs. 2624834.00

5. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर होंगे।
6. मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन–उपशीर्ष–78–पूर्ण एवं चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुर्नस्थापन एवं ई०आर०एम० कार्य (विपत्र कोड 49-S-4701-80-001-78-00-05-45) के अंतर्गत विकलनीय होगा।
7. वर्ष 2022–23 के बजट में पूर्ण एवं चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुर्नस्थापन एवं ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है। शीर्ष 49–S–4701–80–001–78–00–05–45 में रू० 8150.00 लाख है।
8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
9. राशि की निकासी कोषागार देवघर से की जायेगी।
10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
11. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारंभ कर 2023–24 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
12. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
13. कार्य में निकलने वाले स्क्रैप का वर्त्तमान दर पर आकलित मूल्य का 40% की राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा कराया जायेगा।
14. योजना हेतु पूर्व से स्वीकृत संरचनाओं में किसी प्रकार का परिवर्त्तन किये जाने के पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ली जाएगी।
15. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनरर्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत्त दिशा–निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
16. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
17. कार्य कराने वाली Agency/संवेदक द्वारा ही कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त अगले तीन (03) वर्षों तक Repair & Maintenance कराया जायेगा।
18. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

10/08/22

(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक:–3/पी०एम०सी०/कार्य–86/2013 34/22-23/अ०नी० /राँची, दिनांक:– 16.08.22

प्रतिलिपि:–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/08/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

E:\Node 4\A.Sankar\Sanlekh\Bada nadi 14.06.2022\Bada nadi.docx

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य–86/2013 34/22-23 प्र० स्वी० /राँची, दिनांकः– 16.08.22

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, देवघर कोषागार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

16/08/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य–86/2013 34/22-23 प्र० स्वी० /राँची, दिनांकः– 16.08.22

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (याँत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) सिंचाई याँत्रिक अंचल, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वीकृत्यादेश Online upload करने हेतु/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3 राँची/कार्यपालक अभियंता, याँत्रिक प्रमंडल, देवघर/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/08/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य–86/2013 34/22-23 प्र० स्वी० /राँची, दिनांकः– 16.08.22

प्रतिलिपिः– आयुक्त, संथाल परगना दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

16/08/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य–86/2013 34/22-23 प्र० स्वी० /राँची, दिनांकः– 16.08.22

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16/08/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)